

प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सुरक्षिति करने की कोशशि

यह एडटिओरियल 24/02/2023 को 'हिंदू बज़िनेस लाइन' में प्रकाशित "Protecting platform workers" लेख पर आधारित है। इसमें [प्लेटफॉर्म वरकर्स से संबंध मुददों और इनके समाधान](#) के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

- तकनीकी नवाचारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण कार्य की दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गणि वरकर्स का उदय भी इसी से संबंध एक परिवर्तन है। वरष 2029-30 तक गणि कार्यबल के 2.35 करोड़ कर्मचारियों तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **भारत की G-20 अध्यक्षता** लाभ की सुवाहयता (जो एक नयीकता के बजाय एक व्यक्ति से जुड़े होते हैं और बना कसी रुकावट के एक नौकरी से दूसरी नौकरी तक ले जाए जा सकते हैं) पर अधिक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान करेगी, इस प्रकार सीमा पार किये जाते प्लेटफॉर्म वरक के लिये कर्मयों के हति की रक्षा करेगी।
- इस प्रकार, भारत की G-20 अध्यक्षता द्वारा 'गणि एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' और सामाजिक सुरक्षा' को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में चिह्निति करने का निरिण्य उपयुक्त है। नियमित रूप से, प्लेटफॉर्म अरथवयवस्था रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करती है। हालाँकि, श्रम बाज़ारों पर इसके संभावित विघ्नकारी प्रभाव (disruptive effects) भी पड़ सकते हैं।

नोट:

- मोटे तौर पर, प्लेटफॉर्म इकॉनॉमी दो बज़िनेस मॉडलों- 'क्राउडवरक' (Crowdwork) और 'वरक-ऑन-डमिंड वाया ऐप्स' (Work-on-demand via apps) के माध्यम से संचालित होती है।
 - क्राउडवरक उन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन कार्य करते हैं जो सीमाओं के पार बड़ी संख्या में ग्राहकों, संगठनों और व्यवसायों को जोड़ते हैं।
 - दूसरी ओर, 'वरक-ऑन डमिंड वाया ऐप्स' का तात्पर्य स्थान-आधारित और भौगोलिक दृष्टि से सीमित कार्य से है, जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम बनाया जाता है।

प्लेटफॉर्म वरकर्स के समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याएँ

- **कर्मयों के रूप में वर्गीकरण:**
 - प्लेटफॉर्म कर्मयों के समक्ष विद्यमान प्रमुख समस्याओं में से एक यह है कि उन्हें प्रायः कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र संविधाकारों (contractors) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वे कुछ लाभों के हक्कदार नहीं हो पाते, जैसे न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम वेतन और श्रमाकि मुआवजा।
- **अभिगम्यता संबंधी समस्याएँ:**
 - भले ही गणि इकॉनॉमी उन सभी के लिये सुलभ है जो इस तरह के रोज़गार में संलग्न होने के इच्छुक हैं साथ ही, इसके ज़रूरि रोज़गार के व्यापक विकल्प उपलब्ध हैं फिर भी इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल तकनीक तक पहुँच एक प्रतिबिधिक कारक हो सकती है।
 - इसने गणि इकॉनॉमी को काफी हद तक एक शहरी परिवर्तन बना दिया है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम:**
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ रोज़गार में संलग्न कर्मी, वशीष रूप से ऐप-आधारित टैक्सी एवं डलीवरी क्षेत्रों से संलग्न महलिया कर्मी, वभिन्न व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करते हैं।
- **कम वेतन:**
 - भारत में कई प्लेटफॉर्म कर्मी कम वेतन अर्जित करते हैं, प्रायः न्यूनतम वेतन से भी कम। यह आंशकि रूप से इस तथ्य के कारण है कि प्लेटफॉर्म कंपनियाँ मूल्य पर प्रतिस्पर्द्धा करती हैं और कम वेतन पर भी नौकरी करने को तैयार कर्मयों का एक बड़ा समूह मौजूद है।
- **सुदीर्घ कार्य-घटें:**
 - प्लेटफॉर्म कर्मयों को प्रायः अपना और अपने परवार का भरण-पोषण करने के लिये प्रयाप्त धन अर्जित करने के लिये लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। इससे उनमें शारीरिक-मानसिक-भावनात्मक थकान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- सामाजिक सुरक्षा का अभाव:
 - प्लेटफॉर्म कर्मी पेंशन या बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के हक्कदार नहीं होते। यह उन्हें दुर्घटना या बीमारी के मामले में जोखिमपूर्ण स्थितियों में डालता है।
- सौदेबाजी शक्तिका अभाव:
 - प्लेटफॉर्म कर्मी आमतौर पर अकेले कार्य करते हैं और उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं होती है जो एक संघ या समूहिक सौदेबाजी समझौते का अंग होने पर प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि वे बेहतर वेतन या कार्य स्थितियों के लिये बातचीत कर सकने में सक्षम नहीं हो पाते।
- भेदभाव:
 - कुछ प्लेटफॉर्म कंपनियों पर कर्मियों के कुछ समूहों, जैसे महिलाओं या नचिली जातियों के कर्मियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है।
 - दलति गण वर्कर, जो सबसे नचिली जाति से ताल्लुक रखते हैं, सीमित कार्य अवसरों, कम वेतन और सामाजिक बहिष्करण के रूप में भेदभाव का सामना करते हैं।
 - कुछ ग्राहकों द्वारा मुस्लिम डलीवरी बॉय से सेवा लेने मना करने या उनका अपना धर्म जानने के बाद अपने ऑर्डर रद्द कर देने जैसे मामले भी प्रकाश में आए हैं।
- वनियिमन का अभाव:
 - भारत में वरतमान में प्लेटफॉर्म वरक के लिये कोई नियमित ढाँचा मौजूद नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि प्लेटफॉर्म कंपनियां शर्म कानूनों या मानकों का अनुपालन करने वाली भी कार्य कर सकती हैं।

प्लेटफॉर्म वरकर्स के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है?

- एक नई वधिकि शरणी का नरिमाण करना:
 - कर्मियों और स्वतंत्र संविधाकारों के बीच के ग्रे क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिये 'स्वतंत्र कर्मी' (independent workers) नामक एक नई वधिकि शरणी बनाई जा सकती है। इस पर उपयुक्त सतरकता से विचार किया जा सकता है।
 - कुछ मामलों में, स्वतंत्र कर्मी स्वतंत्र व्यवसायों की तरह होते हैं क्योंकि उन्हें यह चुनने की स्वतंत्रता होती है कि वे कब और कहाँ कार्य करेंगे; साथ ही उनके पास कई मध्यस्थियों के साथ कार्य करने का विकल्प भी होता है।
 - हालाँकि, कुछ मामलों में वे पारंपरिक कर्मियों के समान भी हैं, क्योंकि मध्यस्थियों पर कुछ तरीकों से नियंत्रण भी रखता है, जैसे कि उनकी फीस या फीस कैप नियंत्रित करने के रूप में।
- सामाजिक सुरक्षा कवरेज़ का वसिता:
 - गणि इकोनॉमी परौदयोगिकी का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म वरकर्स को सामाजिक सुरक्षा कवरेज़ देने के लिये किया जा सकता है।
 - गणि इकोनॉमी पर अधिकांश लेन-देन इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है और इस प्रकार इसे ट्रैक किया जा सकता है।
 - उदाहरण के लिये, इंडोनेशिया ने देश में आमतौर पर मोटरसाइकिल टैक्सी सवारी के लिये उपयोग किया जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिये एक डिजिटल तंत्र पेश किया है।
 - ऐप्लीकेशन का उपयोग करते समय चालक और यात्री दोनों के दुर्घटना बीमा (उस यात्रा के दौरान) के लिये टैरफि की एक छोटी सी राशि सिवायालति रूप से काट ली जाती है।
- सामूहिक सौदेबाजी:
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों को बेहतर वेतन, लाभ और कार्य करने की स्थितियों पर समझौता वारता करने के लिये प्लेटफॉर्म के मालियों के साथ सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने की अनुमतिदी जानी चाहिये। सामूहिक सौदेबाजी प्लेटफॉर्म कर्मियों को समझौता वारताओं में अधिक लाभ उठाने में मदद कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए।
- लाभों तक पहुँच:
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों को सवास्थ्य बीमा, वैतनिक अस्वस्थता अवकाश और सेवानियुक्तियों जैसे लाभों तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिये। सरकारी नियमों और नजीकी क्षेत्र की पहल के संयोजन के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है।
- उचिति वेतन:
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों को उनके कार्य के लिये उपयुक्त वेतन दिया जाना चाहिये। प्लेटफॉर्म के लिये अपनी भुगतान संरचना का खुलासा करना आवश्यक बनाया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे पारदर्शी एवं नियिक्षित हैं।
- भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा:
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों को लगि, जाति, नस्ल, धर्म, यौन उन्मुखता या निश्चितता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षित किया जाना चाहिये। प्लेटफॉर्म के पास भेदभाव को रोकने के लिये नीतियों होनी चाहिये और कर्मियों को भेदभाव की घटनाओं की रपोर्ट करने के लिये एक तंत्र प्रदान किया जाना चाहिये।
- संगठित होने का अधिकार:
 - प्लेटफॉर्म कर्मियों के पास अपने हतियों की रक्षा के लिये संगठित होने और संघ बनाने का अधिकार होना चाहिये। इससे उन्हें बेहतर वेतन, लाभ और काम स्थितियों पर समझौता वारता करने में भी मदद मिल सकती है।
- वनियिमन और प्रवरतन:
 - सरकारों को प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था को वनियिमति करना चाहिये और प्लेटफॉर्म कर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिये शर्म कानूनों को लागू करना चाहिये। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिये प्लेटफॉर्म की नियमिती करना भी शामिल हो सकता है कि वे शर्म कानूनों का पालन कर रहे हैं और उल्लंघन के लिये उन पर अरथदंड लगाया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत की उभरती हुई गणि इकोनॉमी में गणि वरकर्स के लिये कौन-से चुनौतियाँ एवं अवसर मौजूद हैं? उनके साथ उचिति उपचार और उनकी सुनिश्चिति करने के लिये किनी नीतियों की आवश्यकता है?

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत में महलियों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में 'गगि इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (वर्ष 2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/protecting-platform-workers>

